न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2015

नक्षत्र सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति मजबी सिख निवासी 4 के.एल.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलांट

बनाम

1. विमला पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी 64 एल.एन.पी. हाल आबाद चक 4 केएलडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. मक्खन सिंह पुत्र झण्डासिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 4 केएलडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र झण्डासिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 4 केएलडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधि. 1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना, दिनांक 16.06.2015

उपस्थितिः—

श्री तेजा सिंह , अभिभाषक अपीलांट
श्री राजीव जग्गा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :— 14.11.2017

प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष कॉलोनी कंडीशन्स की शर्त सं. 8 के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 4 के.एल.डी. के प.नं. 16/40 के मु.नं. 29 के कि.नं. 1 में उत्तर—पश्चिम के कोने में से प्रार्थी को अपनी भूमि में आने—जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 16.06.2015 को चक 4 के.एल.डी. के मु.नं. 16/39 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकार किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 द्वारा प.नं. 16/40 के मु.नं. 29 के कि.नं. 1 में से रास्ता स्वीकृत कराने का निवेदन किया है। किन्तु अधी. न्यायालय ने मु.नं. 16/40 कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत कर दिया। यह रास्ता कभी भी मौके पर चालू नहीं था। इस प्रकार अधी. न्यायालय से जो अनुतोष चाहा ही नहीं था वह दे दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर अधी. न्यायालय ने चालू रास्ता को स्वीकृत किया है एवं रास्ता के बदले में भूमि एवं डी.एल.सी. की दर से दुगुणी राशि दिलाने के आदेश दिये। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा गलत रास्ता स्वीकृत किया है। क्योंकि रेस्पों. के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों/प्रार्थीया विमला द्वारा अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र अन्तर्गत कॉलोनी कन्डीशन्स धारा 8क के तहत पेश होना पत्रावली पर उपलब्ध है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र किस विधि के तहत निर्णित किया है, स्पष्ट नहीं है तथा अपील राज. भू.राजस्व अधि. की धारा 75 के तहत पेश की है। राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251ए में उपलब्ध जिसमें कोई व्यक्ति आहत होता है तो इसी अधिनियम के अपील के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है। अतः समूचे प्रकरण में अधी. न्यायालय अपीलांट व रेस्पों. का

14/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नुक्स प्रकरण हाजा में होने से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 251A एवं इस धारा की कियान्विति हेतु बने नियमों की कियान्विति हेतु बने नियमों की पालना कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर